

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या - 25/2024

पीठासीन अधिकारी - राजकेश गीना (आर.ए.एस.)

1 दाउद पिता कालू नीलगर उग्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा

उन्वान

( प्रार्थी)

- बनाम
- 1 मुस्ताक पिता हाजी मोहम्मद नीलगर उग्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
  - 2 आजाद पिता हनीफ नीलगर उग्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
  - 3 इदरिश पिता अजीज नीलगर उग्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
  - 4 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला शाहपुरा

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता--- श्री राजेश वर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 15.03.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 02.02.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 390 के आ.न. 106 रकबा 0.03 हैक्टर, खतौनी संख्या 129 के आ.न. 121 रकबा 0.07 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आय दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 390 के आ.न. 106 रकबा 0.03 हैक्टर, खतौनी संख्या 129 के आ.न. 121 रकबा 0.07 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना व लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्रों से समय एवं तिथि वावत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्ताकीन विवाद को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश गीना)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फूलियाकला, जिला शाहपुरा